FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी
राजगढ़ (चूरू) मुकाम

सुरतराम बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना पत्र नं. 106/2019 सन् ....

हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act का कार्यालय रिपोर्ट हो कर पेश हुआ। अवलोकन किया। दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट ली जावे। मिसल दिनांक 10.5.19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	
10/5/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 24-6-19 को पेश हों	
वकुलाय फरीकैन उपस्थित तहसीलदार के जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं पत्रावली बाद इन्तजार दि 16-8-19 को पेश हो।	
16/8/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ.साहब मुख्यालय से बाहर हैं मिसल दिनांक 23.9.19 को पेश हों	
23/9/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित श्रीमान एस.डी.ओ. साहब स्थानान्तरित पर पधार चुके हैं। मिसल दिनांक 31.10.19 को पेश हो।	
31/10/19 वकील पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय, चुनाव कार्य में व्यस्त है मिसल दिनाक 10.12.19 को पेश हो।	
10/12/19 वकील प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार राजगढ़ से जाँच रिपोर्ट प्राप्त। शामिल मिसल रहे। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत दर्ज होना कथन करते हुए शुद्ध करने का अनुतोष चाहा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण
	चाहा है प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार से प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी में प्रार्थी का नाम विरासतन नामान्तरकरण के जरिए दर्ज हुआ है जो राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त कुर्सीनामा व उसकी की गई जाँच के आधार पर दर्ज किया जाता है व सक्षम अधिकारी द्वारा विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए तस्दीक किया जाता है जिस कारण प्रार्थी का नाम विहित प्रक्रिया के अधीन दर्ज हुआ है जिसमें धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है तथा भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी चाहे गये अनुतोष के लिए अन्य कानूनी विकल्पों के प्रयोग हेतु स्वतंत्र है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र संधारणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। मिसल फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)